सं०-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क. 625

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

बन्दना प्रेयषी भा०प्र०से०,
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

1. सभी विभाग के सचिव/ प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी विभागाध्यक्ष, बिहार ।
3. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/05/2024

विषय:- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-23 (i) में निहित प्रावधान के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक सरकारी स्थापन में शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में ।**

प्रसंग:- अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-07-01 /2024-DD-III दिनांक-10.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-23 (i) के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक सरकारी स्थापन में उक्त अधिनियम की धारा-19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है एवं नियुक्ति की सूचना राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र (पत्रांक-07-01 /2024-DD-III दिनांक-10.04.2024) भी संलग्न है। उक्त अधिनियम की धारा-23 (3) के संदर्भ में केन्द्र सरकार की नियमावली "दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017" के अध्याय 4 अंतर्गत संबंधित नियम-'10' पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

अत: प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-19 एवं 20 के अनुपालन हेतु प्रत्येक सरकारी स्थापन में एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करते हुए उक्त की सूचना सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाय एवं तदनुसार अनुपालन प्रतिवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
13/5/2024
सचिव
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- सं०-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क.   पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-

- सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग/ सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार/ सभी उप निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग/ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- निदेशक-सह-उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम'/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ समाज कल्याण निदेशालय/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना / निदेशक, आई0सी0डी0एस निदेशालय, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना/ अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।
- अध्यक्ष, बिहार राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव/ सचिव, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ माननीय राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव के आप्त सचिव, राजभवन पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

7/5/2024

सचिव
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2017/ज्येष्ठ 25, 1939
No. 489] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2017/JYAISTHA 25, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

सा.का.नि. 591(अ).—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) और उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) तारीख 21.04.2017 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 22.04.2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करते हैं, तीन वर्ष होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य एक और पदावधि के लिए पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे ।

(4) आधे सदस्य बैठकों की गणपूर्ति करेंगे ।

(5) गैर-शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रिती केंद्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे ।

(6) केंद्रीय सरकार समिति को उतने लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवृंद्ध उपलब्ध कराएगी, जैसा केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

5. दिव्यांगजन को अनुसंधान का एक विषय नहीं समझा जाना—कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नही होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो ।

6. कार्यापालक मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया- अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिवादों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यापालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 133 से धारा 143 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय 3

जिला शिक्षा कार्यालय में नोडल अधिकारी

7. जिला शिक्षा कार्यालय में नोडल अधिकारी –दिव्यांग बालकों के दाखिले से संबंधित सभी मामलों से और अधिनियम की धारा 16 और 31 के निबंधनों में विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से निपटने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में एक नोडल अधिकारी होगा ।

अध्याय 4

नियोजन

8. समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति—(1) प्रत्येक स्थापन दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा ।

(2) समान अवसर नीति का स्थापनों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर उनके परिसरों में सहज दृश्य स्थान पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा ।

(3) बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्राइवेट स्थापनों के लिए और सरकारी स्थापनों के लिए समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

(क) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और प्रसुविधाएं ताकि वह स्थापनों में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सकें ;

(ख) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए पहचाने गए समुचित पदों की सूची ;

(ग) विभिन्न पदों पर दिव्यांगजनों के चयन की रीति, भर्ती-पश्च् और प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण स्थानांतरण और तैनाती में अधिमानत:, विशेष छुट्टी; आवासों के आबंटन में अधिमानत:, यदि कोई हो, तथा अन्य सुविधाएं ;

(घ) सहायक युक्तियों, बाधा मुक्त पहुंच तथा दिव्यांगजनों के लिए अन्य उपबंध ;

(ङ) दिव्यांगजनों की भर्ती की देखरेख के लिए स्थापन में लायजन अधिकारी की नियुक्ति तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपबंध ।

(4) बीस से कम कर्मचारियों वाले प्राइवेट स्थापनों में समान अवसर नीति में, अन्य बातों के साथ, दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं अंतर्विष्ट होंगी ताकि वह स्थापन में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके ।

9. स्थापनों में अभिलेखों को रखे जाने का प्ररूप और रीति—(1) नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन आने वाला प्रत्येक स्थापन निम्नलिखित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले अभिलेख रखेगा, अर्थात् :--

(क) दिव्यांगजनों की संख्या, जो नियोजित हैं तथा वह तारीख जिससे वे नियोजित हैं ;

(ख) ऐसे नियोजित व्यक्तियों का नाम, लिंग और पता ;

(ग) ऐसे नियोजित व्यक्तियों की दिव्यांगता की किस्म ;

(घ) ऐसे नियोजित दिव्यांगजनों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति ; और

(ङ) ऐसे दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली दिव्यांगता की किस्म ।

(2) प्रत्येक स्थापन मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि क्या उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है ।

10. सरकारी स्थापनों द्वारा शिकायत रजिस्टरों को रखे जाने की रीति—(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करेगा :

परंतु जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापन ज्येष्ठतम अधिकारी को शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) शिकायत निपटान अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां रखेगा, अर्थात् :--

(क) शिकायत की तारीख ;

(ख) शिकायतकर्ता का नाम ;

(ग) उस व्यक्ति का नाम, जो शिकायत की जांच कर रहा है ;

(घ) घटना का स्थान ;

(ङ) स्थापन या व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है ;

(च) शिकायत का सार ;

(छ) दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो ;

(ज) शिकायत निपटान अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख ;

(झ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निपटान के ब्यौरे ; और

(ञ) कोई अन्य सूचना ।

अध्याय 5

बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियां

11. रिक्तियों की संगणना—(1) रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिए पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में कुल रिक्तियों के चार प्रतिशत को समुचित सरकार द्वारा बैंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए गणना में लिया जाएगा ।

परंतु प्रोन्नति में आरक्षण, समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगा ।

(2) प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांगजनों के लिए कैडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एक रिक्ति आधारित रोस्टर रखेगा ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 07, 1938 (शक)
No. 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSHA 07, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28*th December,* 2016/*Pausha* 17, 1938 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 27th December, 2016, and is hereby published for general information:—

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016

(No. 49 of 2016)

[27*th December,* 2016]

An Act to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas the United Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the 13th day of December, 2006;

And whereas the aforesaid Convention lays down the following principles for empowerment of persons with disabilities,—

(*a*) respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons;

(*b*) non-discrimination;

(*c*) full and effective participation and inclusion in society;

(*d*) respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity;

(*e*) to establish adequate number of resource centres to support educational institutions at all levels of school education;

(*f*) to promote the use of appropriate augmentative and alternative modes including means and formats of communication, Braille and sign language to supplement the use of one's own speech to fulfill the daily communication needs of persons with speech, communication or language disabilities and enables them to participate and contribute to their community and society;

(*g*) to provide books, other learning materials and appropriate assistive devices to students with benchmark disabilities free of cost up to the age of eighteen years;

(*h*) to provide scholarships in appropriate cases to students with benchmark disability;

(*i*) to make suitable modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities such as extra time for completion of examination paper, facility of scribe or amanuensis, exemption from second and third language courses;

(*j*) to promote research to improve learning; and

(*k*) any other measures, as may be required.

Adult education.

18. The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote, protect and ensure participation of persons with disabilities in adult education and continuing education programmes equally with others.

CHAPTER IV

SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

Vocational training and self-employment.

19. (*1*) The appropriate Government shall formulate schemes and programmes including provision of loans at concessional rates to facilitate and support employment of persons with disabilities especially for their vocational training and self-employment.

(*2*) The schemes and programmes referred to in sub-section (*1*) shall provide for—

(*a*) inclusion of person with disability in all mainstream formal and non-formal vocational and skill training schemes and programmes;

(*b*) to ensure that a person with disability has adequate support and facilities to avail specific training;

(*c*) exclusive skill training programmes for persons with disabilities with active links with the market, for those with developmental, intellectual, multiple disabilities and autism;

(*d*) loans at concessional rates including that of microcredit;

(*e*) marketing the products made by persons with disabilities; and

(*f*) maintenance of disaggregated data on the progress made in the skill training and self-employment, including persons with disabilities.

Non-discrimination in employment.

20. (*1*) No Government establishment shall discriminate against any person with disability in any matter relating to employment:

Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section.

(*2*) Every Government establishment shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier free and conducive environment to employees with disability.

(*3*) No promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability.

(*4*) No Government establishment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his or her service:

Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:

Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

(*5*) The appropriate Government may frame policies for posting and transfer of employees with disabilities.

Equal opportunity policy.

21. (*1*) Every establishment shall notify equal opportunity policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this Chapter in the manner as may be prescribed by the Central Government.

(*2*) Every establishment shall register a copy of the said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be.

Maintenance of records.

22. (*1*) Every establishment shall maintain records of the persons with disabilities in relation to the matter of employment, facilities provided and other necessary information in compliance with the provisions of this Chapter in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.

(*2*) Every employment exchange shall maintain records of persons with disabilities seeking employment.

(*3*) The records maintained under sub-section (*1*) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in their behalf by the appropriate Government.

Appointment of Grievance Redressal Officer.

23. (*1*) Every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, about the appointment of such officer.

(*2*) Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action.

(*3*) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be inquired within two weeks of its registration.

(*4*) If the aggrieved person is not satisfied with the action taken on his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee on disability.

CHAPTER V

SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

Social security.

24. (*1*) The appropriate Government shall within the limit of its economic capacity and development formulate necessary schemes and programmes to safeguard and promote the right of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community:

Provided that the quantum of assistance to the persons with disabilities under such schemes and programmes shall be at least twenty-five per cent. higher than the similar schemes applicable to others.

(*2*) The appropriate Government while devising these schemes and programmes shall give due consideration to the diversity of disability, gender, age, and socio-economic status.

(*3*) The schemes under sub-section (*1*) shall provide for,—

(*a*) community centres with good living conditions in terms of safety, sanitation, health care and counselling;

(*b*) facilities for persons including children with disabilities who have no family or have been abandoned, or are without shelter or livelihood;

(*c*) support during natural or man-made disasters and in areas of conflict;

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

19. व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन—(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों मे निम्नलिखित उपबंध होंगे—

(क) सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो;

(घ) रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है;

(ङ) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन; और

(च) कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं।

20. नियोजन में विभेद न करना—(1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा :

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा:

परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।

21. समान अवसर नीति—(1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा।

(2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

22. अभिलेखों का रखा जाना—(1) प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

23. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति—(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन, धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

(2) धारा 20 के उपबंधों के अननुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा ।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, और प्रत्येक शिकायत की, इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी ।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा या सकेगा ।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

24. सामाजिक सुरक्षा—(1) समुचित सरकार, उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमें और कार्यक्रम बनाएगी:

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा ।

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक- आर्थिक प्रास्थिति की विविधता पर सम्यक् विचार करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे,—

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-देख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिस्थितियों सहित सामुदायिक केन्द्र;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंतर्गत दिव्यांग बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रम या जीवन निर्वाह के हैं, सुविधाएं;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता;

(घ) दिव्यांग महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी-बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच;

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ दिव्यांग को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्य-चिकित्सा उपलब्ध कराना;

(छ) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन;

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था;

(झ) उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देख-देख प्रदाता भत्ता;

(ञ) ऐसे दरिव्यांगनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे ।

25. स्वास्थ्य देख-रेख—(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी, —

(क) ऐसी कुटुंब आय, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, आसपास विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-देख;

(ख) सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं और केन्दों में बाधा रहित पहुंच;

(ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विकता ।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-देख की अभिवृद्धि और दिव्यांगता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित करेंगे, —

सं./ No. 07-01/2024-DD-III
भारत सरकार / Government of India
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/ Ministry of Social Justice & Empowerment
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/ Department of Empowerment of Persons with Disabilities

पाँचवा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन
5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
दिनांक / Dated: 10.04.2024

To.
Principal Secretaries of all States/UTs
(Departments dealing with Disability Matters)

Sub: - Clear display of names and other details of Grievance Redressal Officer for PwDs in the office premises - reg.

Madam/Sir.

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that Section 23 (i) of the RPwD Act. 2016 mandates that every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 of the said Act. Further. Section 23(ii) provides that any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20 of the said Act, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action. DEPwD has been receiving complaints that persons/employees with disabilities who required the services of Grievance Redressal Officers (under Section 19 and 20 of the RPwD Act. 2016) could not identify them at appropriate time, as there is no uniform practice of affixing their name board in the offices concerned. Needless to say, lack of clear display of name boards of Grievance Redressal Officer result in difficulties to PwDs/EwDs.

2. All States/UTs are, therefore, requested to make arrangements in the Government Offices for exhibiting name boards of Grievance Redressal Officers for PwDs/EwDs which should bear the name, designation, contact number and email id of such officers. This information may also be provided in Braille language for the convenience of persons/employees with blindness.

3. This issues with the approval of competent authority.

भवदीय/ Yours faithfully.

A. Meena
10/04/2024

(अनीता मीणा /Anita Meena)
अवर सचिव, भारत सरकार / Under Secretary to the Govt of India
दूरभाष/Tel: 24369054